न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या : 3/2017 Gcms No. 2017/00002

दायरा तिथि : 08.02.2017

आदेश तिथिः 7-4-2022

अपीलान्टस :–

1. श्रीमति देवी पुत्री पुनाजी पत्नि पुनाजी जाति कुम्हार
   निवासी गुडालास हाल गौरखा तहसील देसूरी जिला पाली (राजस्थान)
2. स्व0 श्रीमति सुखी पुत्री पुनाजी पत्नि चुन्नीलालजी जाति कुम्हार के कायम मुकाम वारिशानः–
   2/1 रामलाल पुत्र स्व0 सुखीदेवी
   2/2 राजेन्द्रकुमार पुत्र स्व0 सुखीदेवी
   2/3 कल्पेशकुमार पुत्र स्व0 सुखीदेवी
   2/4 श्रीमति पुष्पा पुत्री स्व0 सुखीदेवी तमाम जाति से कुम्हार
   निवासी गुडालास हाल निवास चामुण्डेरी मेडतियान तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

रेस्पोडेन्टस :–

1. स्व0 मूलाराम पुत्र कसाजी के कायम मुकाम वारिशानः–
   1/1 धनाराम पुत्र मूलारामजी
   1/2 मोहनलाल पुत्र मूलारामजी
   1/3 रकू पुत्री मूलारामजी
   1/4 स्व0 पन्नालाल पुत्र मूलारामजी के कायम मुकाम वारिशानः–
   1/4/1 श्रीमति विमला पत्नि स्व0 पन्नालाल
   1/4/2 धीरज पुत्र पन्नालालजी
   1/4/3 गरीमा पुत्री पन्नालालजी जरिये कुदरती वलीया माता श्रीमति विमला
2. स्व0 चेलाराम पुत्र कसाजी के कायम मुकाम वारिशानः–
   2/1 नेमाराम पुत्र स्व0 चेलारामजी
   2/2 नैनाराम पुत्र चेलारामजी
   2/3 पकाराम पुत्र चेलारामजी
   2/4 कानाराम पुत्र चेलारामजी
   2/5 तलसी पुत्री चेलारामजी
   2/6 तगतो पुत्री चेलारामजी
   2/7 तीजोदेवी पुत्री चेलारामजी तमाम जाति से कुम्हार निवासीगण गुडालास
3. श्रीमति घीसी पुत्री पुनाजी पत्नि खुमाजी जाति कुम्हार
   निवासी गुडालास हाल धणी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

उपस्थितिः–

1. श्री गणपतलाल चौधरी............................ अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02, 03 ....अनुपस्थित।

–:: निर्णय ::– दिनांक : 7-4-2022

अपील अन्तर्गत धारा 75राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

(विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 15.10.1998 को ग्राम पंचायत गुडालास द्वारा स्वीकृत किया गया)

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। अपीलान्ट ने उक्त अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व रेस्पोडेन्टस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गुडालास में अपीलान्ट्स के पिता पुनाजी व उनके भाई चेला पुत्रगण कसाजी के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि हाल खसरा नंबर 113 रकबा 2.54 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय आई हुई स्थित हैं। इस कृषि भूमि के खातेदार अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 03 के पिता पुना पुत्र कसाजी की मृत्यु होने पर नामान्तरकरण संख्या 46 पटवारी हल्का द्वारा भरा गया। जिसमें पटवारी हल्का ने **पुना फौत होने पर उत्तराधिकारी उसके भाई मूला का नाम दर्ज किया गया, पूना का ओर कोई वारिसदार नहीं हैं** नोट लगाकर नामान्तकरण भरा जिसको भू0अभिलेख निरीक्षक के पास जॉच हेतु भेजा जिन्होने तारीख 08.10.1989 को जॉच कर राजस्व रेकर्ड से तुलना की गई एवं इन्द्राज सही पाये गये के नोट के साथ पत्रावली ग्राम पंचायत गुडालास के सरपंच के पास भिजवा दी। सरपंच ने तारीख 15.10.89 को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया के नोट के साथ नामान्तरकरण संख्या 46 को स्वीकार कर लिया लेकिन उन्होने स्व0 पुना के वारिसान बाबत् कोई जॉच नहीं की जबकि स्व0 पुना के तीन पुत्रीया जीवित रही है जो अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्टस् संख्या 03 हैं। अपीलान्ट्स ने रेस्पोडेन्ट्स संख्या–03 को गलत रूप से भरे गये नामान्तरकरण को चुनौति देने हेतु कहा लेकिन उसने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया जिस कारण उसे प्रर्फोमा रेस्पोडेन्ट्स बनाकर यह अपील निम्न आधार पर पेश की गईः–

1. कि नामान्तरकरण जैर अपील विधि विरूद्व एवं तथ्यो के विरूद्व भरा जाने के कारण काबिल खारिज हैं।
2. कि नामान्तरकरण जैर अपील भरने के पूर्व पटवारी हल्का, गुडालास ने स्वर्गीय पुना पुत्र कसाजी के वारिसान बाबत् कोई जांच नहीं की गई न ही स्वर्गीय पुना पुत्र कसाजी के वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया न ही स्वर्गीय पुना पुत्र कसाजी की मृत्यु के बाद भरे गये नामान्तरकरण की प्रत पर कोई सजरा बनाया गया। इस कारण नामान्तरकरण जैर अपील काबिज खारिज हैं।

पेज लगातार..........02

उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व अपील संख्या : 3/2017 Gcms No. 2017/00002
अनवान श्रीमति देवी वगैरा बनाम मूलाराम के कामु. धनाराम वगैरा
अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956
(विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 15.10.89 को ग्राम पंचायत गुडालास द्वारा स्वीकृत किया गया)

3. कि स्वर्गीय पुना पुत्र कसाजी के साथ रेस्पोडेन्ट्स संख्या दो चेला पुत्र कसाजी का नाम राजस्व रेकर्ड में बहैसियत खातेदार दर्ज था लेकिन रेस्पोडेन्ट्स संख्या–01 को गलत व नाजायज फायदा पहुँचाने की नियत से पटवारी हल्का से मिलकर रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 व 02 ने अपने आपको अपीलान्ट्स के पिता का उत्तराधिकारी बताकर नामान्तरकरण जैर अपील भरवा दिया जो नामान्तरकरण जैर अपील प्रारम्भ से ही शून्य था। जो **Void ab intio Void** होने से एवं अपीलान्ट्स के हितों के विरूद्व होने से अपीलान्ट्स की तरफ से उक्त अवैद्य नामान्तरकरण को खारिज करवाने हेतु उक्त अपील पेश की है।

4. कि नामान्तरकरण जैर अपील भरते समय पटवारी हल्का गुडालास ने बिना किसी आधार के स्वर्गीय पुना पुत्र कसाजी के वारिसान के रूप में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 का नाम दर्ज किया तथा बाद में भूमि का विभाजन भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने कर लिया। लेकिन पुना पुत्र कसाजी के स्थान पर उनकी तीन पुत्रीयों जिसमें दो अपीलान्ट्स है तथा एक पुत्री रेस्पोडेन्ट्स संख्या 03 है का नाम स्वर्गीय पुना पुत्र कसाजी के वारिसान के तौर पर दर्ज नहीं किया। जैर अपील नामान्तरकरण को जांच हेतु भू० अभिलेख निरीक्षक बाली के पास भेजने के बाद जब जांच पुरी हो गई तब नामान्तरकरण जैर अपील को ग्राम पंचायत गुडालास की साधारण सभा में पेश किया जाना था लेकिन सरपंच ग्राम पंचायत गुडालास द्वारा किसी प्रकार की जॉच नहीं की गई और बिना किसी जॉच के केवल सर्व सम्मति से स्वीकृत किया गया के नोट के साथ नामान्तरकरण जैर अपील को स्वीकृत कर दिया जबकि ग्राम पंचायत गुडालास को कानूनन स्व० पुना पुत्र कसाजी के वारिसान बाबत् जॉच करनी थी या उसका विवरण नामान्तरकरण में दर्ज करवाना था लेकिन ग्राम पंचायत गुडालास ने ऐसा नहीं कर नामान्तरकरण जैर अपील को गलत व गैर कानूनी रूप से स्वीकृत कर दिया है जो नामान्तरकरण काबिल खारिज है।

5. कि नामान्तरकरण जैर अपील एक सोची समझी साजिश के तहत भरा गया है जिसकी जानकारी अपीलान्ट्स को नहीं दी गई और रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 व 02 ने बाले बाले राजस्व कर्मचारियो से मिलावट कर एवं ग्राम पंचायत से स्वीकृत करवा दिया, जिस कारण नामान्तरकरण जैर अपील विधि विधान के विरूद्व होने से काबिल खारिज हैं। अपीलान्ट्स के पिता स्व० पुनाजी का फौतेदगी नामान्तरकरण गलत व झुठा भरवाकर उनके भाई चेला व मूला के संयुक्त खातेदार होते ही उन्होनें इस कृषि भूमि का बन्टवाडा आपसी सहमति से करवा दिया और रेस्पोडेन्टस संख्या 01 ने 1/2 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट्स संख्या–02 ने अपना 1/2 हिस्सा रकबा 1.27 हैक्टर प्रत्येक ने प्राप्त करते हुये खातेदारी इन्द्राज करवा दी और प्रतिवादी संख्या–02 ने अपने नाम 1/2 की खातेदारी दर्ज होते ही उस हिस्से को बेचान कर दिया। चुंकि रेस्पोडेन्ट्स संख्या–02 का पहले से ही अपीलान्ट्स के पिता के साथ 1/2 हिस्सा आता था जिस कारण उनके हिस्से को अलग कर बेचान करने पर अपीलान्ट्स के हितो पर कोई प्रभाव नहीं पडता है लेकिन रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 ने सरासर गलत व गैर कानूनी रूप से 1/2 हिस्से की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा दी है जबकि वह 1/2 हिस्सा अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 03 का कानूनन आता है इस प्रकार वर्तमान में रेस्पोडेन्टस संख्या 01 का पुरा हिस्सा अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स संख्या–03 के नाम कानूनन दर्ज करवाने के अपीलान्ट्स अधिकारी है।

6. कि अपीलान्ट के पिता की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण जैर अपील कब भरा गया इसके बारे में अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी बाद में हाल ही में अपीलान्ट तारीख 01.02.2017 को अपने पीहर गांव गुडालास गई तो रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 व 02 ने अपीलान्ट्स को उनके पुश्तैनी मकान में आने नहीं दिया और वादग्रस्त भूमि बाबत् जानकारी की तो जाहिर किया कि यह भूमि हमारी हैं इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। इस पर अपीलान्ट्स ने पटवारी हल्का, गुडालास से सम्पर्क किया तो उन्होंने नामान्तरकरण जैर अपील की जानकारी दी और उसकी प्रमाणित प्रतिलिपी जारी की। जिसका अवलोकन करने पर सर्व प्रथम रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 व 02 की नाजायज व गैर कानूनी हरकतों का ज्ञान हुआ जिसकी जानकारी होते ही अपीलान्ट्स ने रेस्पोडेन्ट्स संख्या 03 से सम्पर्क किया ओर अपने पिता के गलत फौतेदगी नामान्तरकरण को चुनौति देने हेतु कार्यवाही करने का कहा तो उसने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। जिस पर उसे प्रफोमा रेस्पोडेन्ट्स बनाया गया है इस प्रकार अपीलान्ट्स को नामान्तरकरण जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी तारीख 01.02.2017 को हुई और उसकी जानकारी होते ही अपीलान्ट्स ने अपील को तैयार करवाया ओर बिना किसी देरी के उक्त अपील पेश की। अपील देरी से पेश किये जाने बाबत् धारा 5 मर्यादा अधिनियम का प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो की पुष्टि में शपथ पत्र भी पेश किया। जिस कारण अपील अपीलान्ट मयाद में शुमार की जाकर नामान्तरकरण जैर अपील को खारिज किया जाकर अपीलान्ट का नाम स्वर्गीय पुना पुत्र कसाजी के वारिसान के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को सम्मन जारी किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से वकील श्री श्रवणसिंह राठौड द्वारा दिनांक 20.02.2017 को वकालतनामा प्रस्तुत करते हुये उपस्थिति दी गई। तथा रेस्पोडेन्ट्स संख्या–03 की ओर से आयन्दा वकालतनामा प्रस्तुती के लिये अधिवक्ता श्री रताराम राठौड द्वारा अण्डर टेकिंग ली गई। रेस्पोडेन्ट्स संख्या– 02 का सम्मन फौत की रिपोर्ट के साथ प्राप्त होने से वकील अपीलान्ट्स को कायम मुकाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुती के निर्देश दिये गये। जिसकी पालना में कायम मुकाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुती के पश्चात् रेस्पोडेन्ट्स संख्या 02 के कायम मुकाम को सम्मन जारी किये गये।

पेज लगातार..........03

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व अपील संख्या : 3/2017 Gcms No. 2017/00002
अनवान श्रीमति देवी वगैरा बनाम मूलाराम के कामु. धनाराम वगैरा
अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956
(विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 15.10.89 को ग्राम पंचायत गुडालास द्वारा स्वीकृत किया गया)

रेस्पोडेन्ट संख्या 2/1, 2/2, 2/7 की ओर से वकील श्री दिनेश गहलोत ने वकालत नामा पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2/4 बावजुद सम्मन तामील के वकालतन/ असालतन न्यायालय में अनुपस्थित रहने से न्यायालय की आदेशिका दिनांक 26.02.2019 से रेस्पोडेन्ट संख्या 2/4 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये गये। अपील के चलते अपीलान्ट संख्या–02 सुखी की मृत्यु होने पर उनके विधिक वारिशान को पक्षकार बनाते हुये अपील शीर्षक पर लिया गया। अपील के चलते रेस्पोडेन्ट संख्या–01 की मृत्यु दिनांक 23.06.2020 को होने से वकील अपीलान्ट द्वारा इनके कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने बाबत् कामु. प्रार्थना पत्र पेश किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–01 मूला के समस्त कायम मुकाम को न्यायालय द्वारा जारी सम्मन तामील के नियत पेशीयो पर वकालतन/असालतन न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से न्यायालय आदेशिका दिनांक 10.03.2022 से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के समस्त कायम मुकाम के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या–03 के अण्डर टेकिंग होल्डर अधिवक्ता श्री रताराम राठौड द्वारा कई मर्तबा समय अवसर के बावजुद वकालतनामा प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा रेस्पोडेन्ट संख्या–03 द्वारा व्यक्तिशः भी न्यायालय में उपस्थिति नहीं दी जाने से न्यायालय आदेशिका दिनांक 11.02.2020 से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या–02 के अधिवक्ता श्री दिनेश गहलोत को जवाब प्रस्तुती के पर्याप्त समय अवसर दिये गये बावजुद किसी प्रकार जवाब/आपत्ति पेश नहीं की गई। तथा दिनांक 10.03.2022 को अवगत कराया कि उनके विरूद्व कोई अनुतोष नहीं है, जिससे वे जवाब पेश नहीं करना चाहते है। जिससे आदेशिका दिनांक 10.03.2022 से रेस्पोडेन्ट संख्या –02 के कायम मुकाम का जवाब अवसर भी बंद करते हुये पत्रावली को एक पक्षीय बहस के लिये रखा गया।

वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। विद्वान् वकील अपीलान्ट श्री गणपतलाल चौधरी ने बहस में अपील में उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि विवादास्प्रद नामान्तरकरण संख्या 46 विधि विरूद्व है, जो कि प्रारम्भः से शून्य **Void ab intio Void** है तथा ऐसे गैर कानूनी गलत व झूठे नामान्तरकरण को निरस्त करने के लिये मयाद मायना नहीं रखती है। परन्तु फिर भी अपीलान्ट द्वारा इसके लिये धारा–5 लिमिटेशन का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया है। विद्वान् वकील अपीलान्ट श्री गणपतलाल चौधरी ने अपनी इस दलील के समर्थन में कानूनी उद्धहरण आर.आर.टी 2009 (2) बअनवान भंवरसिंह व अन्य बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यु व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12 मई, 2009 को पारित आदेश की प्रति पेश की। **जिसके अनुसार**– राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956– धारा 75 व 135– नामान्तरकरण के आदेश के विरूद्व **अपील–24 वर्ष बाद अपील** पेश की– अति. जिला कलेक्टर व राजस्व मण्डल द्वारा विलम्ब माफ किया गया– मृतक 'सी.एस' ने अपने पीछे विधवा, चार पुत्रियॉ और दो पुत्र प्रार्थी व रेस्पोण्डेन्ट नं. 7 को छोडा– निचले न्यायालयों ने निर्णीत किया कि रेस्पोण्डेन्ट जो विधिक वारिसान हैं, कृषि भूमि में हिस्से के हकदार हैं– भूमि केवल प्रार्थी व रेस्पोण्डेन्ट नंबर 07 के नाम नामान्तरित की– निर्णीत, निचले न्यायालयों ने कोई अविधिकता नहीं की हैं। (पैरा 5)

बहस में आगे दलील दी कि विवादास्प्रद नामान्तरकरण संख्या 46 अपीलान्ट के स्व0 पिता पुना पुत्र कसाजी द्वारा धारित भूमि के सबंध में दाखिल होकर स्वीकृत किया गया है। तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानो में स्पष्ट वर्णित हैं कि हिन्दु पुरूष की निर्वसीयत मृत्यु होने पर **प्रथमः पुत्र, पुत्रीया, विधवा ,मृत पुत्र के पुत्र, पुत्रिया, मृत पुत्री के पुत्र व पुत्रियॉ, मृत पुत्र की विधवा (जिसके अन्तर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी है) को उसकी सम्पति जायेगी।** इस प्रकार उक्त अपील में स्वर्गीय पुना पुत्र कसाजी की मृत्यु होने तथा उनके एक मात्र वारिश पुत्रिया अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्टस संख्या–03 होने के बावजुद विवादास्प्रद नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 15.10.89 से स्वर्गीय पुना पुत्र कसाजी द्वारा सह खातेदारी में धारित की जा रही कृषि भूमि ग्राम गुडालास के खसरा नंबर 113 रकबा 2.54 हैक्टर में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 03 का नाम दर्ज नही कर मूला का नाम दर्ज किया गया, एवं अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट् संख्या–03 का नाम नहीं दर्ज किया गया, जो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 08 में वर्णित प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन होने से विवादास्प्रद नामान्तरकरण संख्या 46 प्रारम्भ से ही शून्य यानि **Void ab intio Void** होने से विवादास्प्रद नामान्तरकरण को निरस्त कर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के साथ अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस संख्या–03 को बहिस्सा बराबर का हकदार मानते हुये नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज किये जाने की दलील दी गई। अपनी उक्त दलील के दौरान् विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा न्यायालय का ध्यान माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निगरानी बअनवान मोहनलाल बनाम बसन्ती में दिनांक 15 फरवरी, 2006 को पारित निर्णय की ओर आकृष्ट किया। **जिसके अनुसार**– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955– धारा 230– प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद भूमि प्रथम श्रेणी के वारिसान में नामान्तरित होनी चाहिये– माता का नाम दर्ज नहीं किया और केवल पुत्र का नाम दर्ज किया– ऐसा दस्तावेज प्रारम्भतः शून्य हैं एवं कानून की नजर में अकृत हैं और जब न्यायालय की जानकारी में आने पर अपास्त होने योग्य है– नामान्तकरण अपास्त किया तथा 'एम' द्वारा पश्चात्वर्ती विक्रय शून्य घोषित किया तथा अपास्त किया। (पैरा 6)

पेज लगातार.....04

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व अपील संख्या : 3/2017 Gcms No. 2017/00002
अनवान श्रीगति देवी वगैरा बनाम मूलाराम के कामु. धनाराम वगैरा
अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956
(विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 15.10.89 को ग्राम पंचायत गुडालास द्वारा स्वीकृत किया गया)

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया एवं विद्वान् वकील अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान् प्रस्तुत कानूनी उद्धहरणो में प्रतिपादित सिद्वान्तो का भी अध्ययन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती हैं। ग्राम गुडालास में स्वर्गीय पुना पुत्र कसाजी जाति कुम्हार निवासी गुडालास द्वारा सह खातेदारी में धारित की जा रही भूमि खसरा नंबर 113 रकबा 2.54 हैक्टर हिस्से के सबंध में दाखिल विवादास्प्रद नामान्तरकरण संख्या 46 जो कि दिनांक 15.10.1989 को सरपंच ग्राम पंचायत गुडालास द्वारा स्वीकृत किया गया है, स्वर्गीय पुना पुत्र कसाजी के निहित हिस्से तक निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, बाली को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि स्वर्गीय पुना पुत्र कसाजी की मृत्यु के पश्चात् दाखिल व स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 46 निरस्ती के पश्चात् स्वर्गीय पुना पुत्र कसाजी के तमाम विधिक वारिशान की जांच करते हुये नियमानुसार नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावे। आदेश प्रति मय ग्राम गुडालास का नामान्तरकरण संख्या 46 की मूल प्रति तहसीलदार, बाली को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 7-4-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner